न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद

(कुशल कुमार कोठारी, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

अपील संख्या :– 54 / 2019 GCMS NO 2019/00127
दायर दिनांक :– 21 / 08 / 2019
निर्णय दिनांक :– 16 / 03 / 2021

अनवान

1. नंद लाल पिता हगामी लाल दशोरा निवासी बैठुम्बी ग्राम पंचायत पनोतिया तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द।
2. रामलाल पिता जालम कुमावत निवासी बैठुम्बी ग्राम पंचायत पनोतिया तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द।
3. छोगालाल पिता उंकार कुमावत निवासी बैठुम्बी ग्राम पंचायत पनोतिया तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द।
4. प्रभुलाल पिता परतु नायक निवासी बैठुम्बी ग्राम पंचायत पनोतिया तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द।
5. मोडीराम पिता सुरजमल कुमावत निवासी बैठुम्बी ग्राम पंचायत पनोतिया तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द।
6. देवीलाल पिता मांगु नायक निवासी बैठुम्बी ग्राम पंचायत पनोतिया तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द।
7. मदनलाल पिता गणेश नायक निवासी बैठुम्बी ग्राम पंचायत पनोतिया तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द।
8. डालू पिता प्रताप कुमावत निवासी बैठुम्बी ग्राम पंचायत पनोतिया तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द।
9. हजारी पिता गणेश नायक निवासी बैठुम्बी ग्राम पंचायत पनोतिया तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द।
10. मन्ना पिता बागा नायक निवासी बैठुम्बी ग्राम पंचायत पनोतिया तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द।
11. रामलाल पिता मोती कुमावत निवासी बैठुम्बी ग्राम पंचायत पनोतिया तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द।
12. उदेराम पिता हरा गाडरी निवासी बैठुम्बी ग्राम पंचायत पनोतिया तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द।

.....अपीलांट्स

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये उपतहसीलदार रेलमगरा

..... रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश नामान्तरण संख्या 699 ग्राम बैठुम्बी ग्राम पंचायत पनोतिया तहसील रेलमगरा आदेश दिनांक 26.03.2004 द्वारा उप

अतिरिक्त कलक्टर
राजसमन्द

तहसीलदार रेलमगरा जिला राजसमन्द अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. श्री गिरिश तिवारी एडवोकेट अधिवक्ता अपीलाण्ट्स

–: निर्णय :–

अपीलाण्ट्स ने ग्राम बैठुम्बी ग्राम पंचायत पनोतिया के नामान्तरण सं. 699 पर अंकित आदेश दिनांक 26.03.2004 से व्यथित होकर यह प्रथम अपील धारा 75 L.R. ACT 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत अपील दिनांक 08.08.2019 को इस न्यायालय में प्राप्त हुई।

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है।

राज्य सरकार के राजस्व ग्रुप – 3 विभाग के परिपत्र क्रमांक प.3(8)राज.3/96 दिनांक 17.01.2002 के द्वारा माइनिंग लीज भूमियों का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के दिशा निर्देश जारी हुए है, जिसके पेरा 5 में निर्देश है कि :–

5) खनिज विभाग **सरकारी भूमि के वे खसरा नम्बर** जो खनिज सम्भावित एरिया है, उनकी सूची तहसीलदार को भेजेंगे जो रेकार्ड के अन्दर खनिज सम्भावित होने का अंकन उन खसरा नम्बर के सामने करेंगे जो भूमि की किस्म के साथ – साथ खनिज सम्भावित क्षैत्र का अंकन भी करेंगे। ये इन्द्राज भी रेकार्ड के जरिये नामान्तकरण किया जावेगा। ताकि खनिज सम्भावित क्षैत्र आंवटन या नियमन या वन विभाग को हस्तान्तरित नहीं हो सके। संबंधित उपखण्ड अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि इस प्रकार के खनिज सम्भावित क्षैत्र का कोई आवंटन एवं नियमन नहीं हो सके।

निर्देशालय खान एवं भू विज्ञान उदयपुर ने भी पत्रांक निर्दे/प. 9/तक/165/2002/1689 दिनांक 12.08.2002 के पैरा 02 में निर्देश जारी किये है कि :–

प्रधान खनिज के बडे क्षैत्रों में जितनी भी सरकारी बिलानाम भूमि आती है उसे सम्पूर्ण क्षैत्र की जमाबन्दी में खनिज क्षैत्र अंकित किया जाय जैसा कि राजस्व विभाग को जारी परिपत्र में उल्लेख है ताकि लीज क्षैत्र में भूमि का अन्य प्रयोजनार्थ आवंटन नियमन या वन विभाग को हस्तान्तरण न हो सके।

उपरोक्त परिपत्रों की पालना में ग्राम बैठुम्बी ग्राम पंचायत पनोतिया की भूमियों के नामान्तरण संख्या 699 खोले गये है, जिसमें निजी खातेदारों की कृषि भूमियों भी उनकी मूल किस्म के साथ – साथ अतिरिक्त रूप से खनन क्षैत्र अंकित कर दी है, जिसे उप तहसीलदार रेलमगरा ने दिनांक 26.03.2004 को स्वीकृत कर दिया है, यही इस अपील का कारण है।

अपीलाण्ट्स ने विलम्ब अवधि कन्डोन करने के लिए प्रस्तुत अपील के साथ धारा 5 अवधि अधिनियम 1963 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया, जिसका रेस्पोडेन्ट ने कोई प्रतिवाद/खण्डन नहीं किया है, अतः प्रार्थना पत्र पर्याप्त न्यायोचित आधार पर होने से विलम्ब अवधि क्षम्य की जाकर अपील अन्दर मयाद स्वीकार करने के आदेश दिये जाते है।

रेस्पोडेन्ट ने अपील का दिनांक 05.09.2019 को जवाब प्रस्तुत कर जवाब के पेरा 01 में राज्य सरकार के राजस्व विभाग का परिपत्र दिनांक 17.01.2002 को स्वीकार किया है, तथा जवाब के पैरा 02 में कथन व्यक्त किया है कि खान विभाग द्वारा जो सूचियां उपलब्ध

अतिरिक्त कलक्टर
राजसमन्द

करायी थी, उसमें सरकारी भूमि के साथ – साथ अन्य भूमियों का विवरण नहीं दर्शाया था, उच्चाधिकारियों के तत्काल पालना के निर्देशों की त्वरित पालना किये जाने से भी सरकारी भूमियों के साथ – साथ काश्तकारों की निजी भूमियों के खसरा नम्बर की किस्म के साथ – साथ खनन क्षैत्र का अंकन किया है, किसी निजी कम्पनी को फायदा पंहुचाने का तथ्य एंव विवरण कतई स्वीकार योग्य नहीं है। किस्म परिवर्तन नहीं कर खनन एरिया में आने वाली भूमियों के खसरा नम्बर की किस्म के साथ – साथ खनन क्षैत्र अंकित किया है, इसके लिए अपीलाण्ट्स को सुनवाई के अधिकार का प्रक्रियात्मक प्रावधान नहीं है।

अधिवक्ता अपीलाण्ट् की बहस सुनी गई।

अधिवक्त अपीलाण्ट्स का तर्क है कि प्रस्तुत मामले में राज्य सरकार/खान विभाग के जिन परिपत्रों के निर्देशों के आधार पर नामान्तरण खोले जा कर निजी भूमियों के खनन क्षैत्र के अंकन स्वीकृत किये गये है, वे निर्देश खातेदारों की निजी भूमियों के लिए नहीं होकर स्पष्टतः सरकारी भूमियों को नामान्तरण में बिना किसी आदेश के शामिल करना विधि शून्य है। रेस्पोडेन्ट ने परिपत्रों का गहराइ से अवलोकन नहीं कर शीघ्रतावश सरकारी भूमियों के साथ – साथ निजी भूमियों को भी खनन क्षैत्र स्वीकृत कर भारी भूल की है। स्पष्टतः रेस्पोडेन्ट ने परिपत्रों के निर्देशों के विपरीत आदेश पारित किया है, जिसका रेस्पोडेन्ट को कोई अधिकार नहीं था।

नामान्तरण स्वीकृत करना एक न्यायिक प्रक्रिया है, इसमें सुनवाई के लिए प्रक्रियात्मक प्रावधान, स्वतः सहज न्याय हेतु नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के अन्तर्गत आता है, इसमें पृथक से किसी प्रावधान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपीलाण्ट्स के स्वामित्व एवं हितों में राजस्व अभिलेख में कमी – पैशी या परिवर्तन मन मकसूद तरीके से नहीं किया जा सकता है, यदि राजस्व अभिलेख में किसी परिवर्तन की रेस्पोडेन्ट को कोई आवश्यकता प्रतीत हो और ऐसे परिवर्तन से कृषकों के हित प्रभावित होते हो तो ऐसे मामलों में नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार सुनवाई का अवसर दिया जाना आज्ञापक है, जिसकी पालना रेस्पोडेन्ट ने नहीं की है।

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर रेस्पोडेन्ट द्वारा नामान्तरण संख्या 699 पर अंकित आदेश दिनांक 26.03.2004 अपास्त कर निजी खातेदारों की कृषि भूमियों की किस्म "खनन क्षैत्र" का अंकन हटाने का आदेश फरमावे।

मैंने अधिवक्ता अपीलाण्ट्स की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गम्भीरता से अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि रेस्पोडेण्ट ने राज्य सरकार के राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 17.01.2002 की पालना में नामान्तरण संख्या 699 में निजी खातेदारों की कृषि भूमियों मूल किस्म के साथ – साथ "खनन क्षैत्र" का अंकन स्वीकृत किया है, जब कि इस परिपत्र दिनांक 17.01.2002 के पैरा 05 में स्पष्ट निर्देश है कि **खनिज विभाग सरकारी भूमि के वे खसरा नम्बर जो खनिज सम्भावित एरिया है कि** सूची तहसीलदार को भेजेगें, जो रेकार्ड के अन्दर खनिज सम्भावित होने का अंकन उन खसरा नम्बर के सामने करेगें, यानि केवल **सरकारी भूमि के लिए ही निर्देश है,** निजी खातेदारों की भूमि के कोई निर्देश नहीं है।

स्पष्टतः रेस्पोडेन्ट ने उक्त निर्देशों की तरफ गम्भीरता से ध्यान नहीं देकर सरकारी भूमियों के अलावा निजी कृषकों की भूमियों की मूल किस्म के साथ खनन क्षैत्र अंकित

अतिरिक्त कलक्टर
राजसमन्द

कर दिया है, यह अंकन किस आधार पर किया है ? स्पष्टतः कोई न्यायोचित कारण रेस्पोडेण्ट ने मेरे समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। रेस्पोडेण्ट ने अपने जवाब दिनांक 05.09.2019 में उपरोक्त परिपत्र दिनांक 17.01.2002 को स्वीकार किया है तथा यह भी स्वीकार किया है कि त्वरित पालना की कार्यवाही में सरकारी भूमि के साथ – साथ निजी कृषकों की भूमियां को "खनन क्षैत्र" दर्ज कर दिया था। रेस्पोडेण्ट के इस कथन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि उन्हें अपील स्वीकार है।

निर्देशालय खान एवं भू विज्ञान विभाग के द्वारा जिला कलक्टर को प्रेषित पत्र दिनांक 12.08.2002 में भी स्पष्ट निर्देश है कि जितनी भी सरकारी बिलानाम भूमि खनिज क्षैत्र में आती है, उनको जमाबन्दी में खनिज क्षैत्र अंकित किया जावे। जिला कलक्टर राजसमन्द ने भी पत्रांक राजस्व/4409–23 दिनांक 30.08.2002 से तहसीलदारों को उपरोक्त परिपत्रों की पालना के निर्देश दिये है।

उपरोक्त परिपत्रों से अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट के कथन को बल मिलता है, रेस्पोडेण्ट ने अपील के खण्डन में ऐसे कोई अकाट्य तर्क एवं प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये है, जिससे कि अपील स्वीकार योग्य नहीं हो।

उपरोक्त विवेचन से मै इस निष्कर्ष पर पंहुचता हू कि प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट् स्वीकार की जाकर अधिनस्थ तहसीलदार का नामान्तरण सं. 699 पर निजी खातेदारों की किस्म " खनन क्षैत्र" अकंन स्वीकृत आदेश दिनांक 26.03.2004 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार/उप तहसीलदार रेलमगरा को रिमाण्ड कर आदेश दिया जाता है कि राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 17.01.2002 एवं 30.08.2002 के निर्देशों की समुचित पालना करते हुए केवल सरकारी भूमि के संबंध में खनन क्षैत्र अंकन कर नामान्तरण की कार्यवाही सम्पादित किया जाना सुनिश्चित करें।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली आदेश की प्रति के साथ पालनार्थ लौटायी जावे।

(कुशल कुमार कोठारी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
राजसमन्द

निर्णय आज दिनांक 16.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुशल कुमार कोठारी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
राजसमन्द